



संख्या : 371/XXIV(7)/51(3)/2010

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

देहरादून : दिनांक

07 अप्रैल
मार्च, 2010

विषय :- राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की व्यवस्था हेतु नवीन मानदण्डों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक शि0का0/1078/बी0एड0/2010, दिनांक 17 फरवरी, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर नई नियुक्तियां करने के उद्देश्य से एन0सी0टी0ई0 के मानदण्ड एवं दिशा-निर्देश विनिमय 2009, में विहित नये मानकों के दृष्टिगत दिनांक 24 नवम्बर, 2009 को राज्य स्तरीय गवर्निंग बॉडी की आहूत बैठक में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रयोजन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं योग्यता सूची निर्धारण के लिए मानदण्डों को निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. शैक्षणिक स्टाफ हेतु मानदण्ड : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुरूप निर्धारित संख्या में शैक्षणिक स्टाफ के विभिन्न पदों के लिए पृथक-पृथक योग्यता सूची तैयार करने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

क. प्रवक्ता - आधारिक पाठ्यक्रम
पद संख्या : एक
अनिवार्य योग्यता :

- अ. विज्ञान/मानविकी/कला में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।
- ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एम0एड0 डिग्री।
- स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0 अथवा शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

- अ. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित शिक्षाशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।
- ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बी0एड0 डिग्री।
- स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0 अथवा शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा उत्तीर्ण।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण - अधिकतम अंक - 100

- अ. एम0एड0 के अतिरिक्त अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्ताकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत ।
(दो विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि होने की दशा में सम्बन्धित विषय के प्राप्ताकों को लिया जायेगा। कतिपय दशाओं में एक से अधिक सम्बन्धित विषय होने की दशा में अधिक प्राप्तांक वाले विषय को लिया जायेगा।)
- ब. एम0एड0 के कुल प्राप्ताकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत ।
- स. बी0एड0 के कुल प्राप्ताकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत ।
- द. पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र - दस अंक ।
- य. शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा-दस अंक ।
- र. शिक्षाशास्त्र में एम0फिल0 -पांच अंक ।
- ल. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी अथवा विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता-पांच अंक ।
(विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे तथा दोनो विशेषज्ञता होने पर किसी एक विशेषज्ञता हेतु ही अंक देय होंगे।)
- व. साक्षात्कार-बीस अंक ।

ख. प्रवक्ता - प्रविधि पाठ्यक्रम

पद संख्या : छः

अनिवार्य योग्यता :

- अ. किसी स्कूल विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री ।
- ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एम0एड0 डिग्री ।
- स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0 अथवा शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा उत्तीर्ण ।

आयु : 60 वर्ष से कम ।

योग्यता अंकों का निर्धारण - अधिकतम अंक - 100

- अ. एम0एड0 के अतिरिक्त अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्ताकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत ।
(दो विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि होने की दशा में सम्बन्धित विषय के प्राप्ताकों को लिया जायेगा। कतिपय दशाओं में एक से अधिक सम्बन्धित विषय होने की दशा में अधिक प्राप्तांक वाले विषय को लिया जायेगा।)
- ब. एम0एड0 के कुल प्राप्ताकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत ।
- स. बी0एड0 के कुल प्राप्ताकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत ।
- द. पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र - दस अंक ।
- य. शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा-दस अंक ।
- र. शिक्षाशास्त्र में एम0फिल0 -पांच अंक ।
- ल. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी अथवा विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता-पांच अंक ।
(विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे तथा दोनो विशेषज्ञता होने पर किसी एक विशेषज्ञता हेतु ही अंक देय होंगे।)
- व. साक्षात्कार-बीस अंक ।

ग. विभागाध्यक्ष

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता :

- अ. किसी स्कूल विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।
- ब. न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एम0एड0 डिग्री।
- स. शिक्षाशास्त्र में पी0एच0डी0।
- द. दस वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव माध्यमिक शिक्षण संस्थान में हो।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण - अधिकतम अंक - 100

- अ. एम0एड0 के अतिरिक्त अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत।
(दो विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि होने की दशा में सम्बन्धित विषय के प्राप्तांकों को लिया जायेगा। कतिपय दशाओं में एक से अधिक सम्बन्धित विषय होने की दशा में अधिक प्राप्तांक वाले विषय को लिया जायेगा।)
- ब. एम0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।
- स. बी0एड0 के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।
- द. पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र - दस अंक।
- य. शिक्षाशास्त्र में यू0जी0सी0 की नैट परीक्षा-दस अंक।
- र. शिक्षाशास्त्र में एम0फिल0 -पाँच अंक।
- ल. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी अथवा विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता-पाँच अंक।
(विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे तथा दोनो विशेषज्ञता होने पर किसी एक विशेषज्ञता हेतु ही अंक देय होंगे।)
- व. साक्षात्कार-बीस अंक।

टिप्पणी : पात्रता के उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा शास्त्र में सेवा निवृत्त प्रोफेसरों/अध्यक्ष को एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

प्रविधि पाठ्यक्रमों हेतु प्रवक्ताओं की नियुक्ति निम्न विषयों में की जायेगी:-

प्रवक्ता अंग्रेजी-1, प्रवक्ता हिन्दी -1, प्रवक्ता गणित-1, प्रवक्ता भौतिकी/रसायनशास्त्र-1, प्रवक्ता जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान-1, प्रवक्ता सामाजिक शास्त्र (इतिहास/राजनीति विज्ञान/भूगोल/अर्थशास्त्र)-1, प्रवक्ता-आधारिक पाठ्यक्रम सामाजिक शास्त्र(इतिहास/राजनीति विज्ञान/भूगोल/अर्थशास्त्र) विषयों में से किसी एक विषय का होना चाहिए और उसका विषय प्रविधि पाठ्यक्रम में नियुक्त प्रवक्ता सामाजिक शास्त्र के विषय से भिन्न हो।

2. तकनीकी सहयोगी स्टाफ हेतु मानवषष्ठ

क. पुस्तकालयाध्यक्ष

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता : पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण - अधिकतम अंक - 100

- अ. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के अंकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।
- ब. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री के अंकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।
- स. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पीएचडी-दस अंक।
- द. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में यूजीसी की नैट परीक्षा-दस अंक।
- य. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में एमफिल-पांच अंक।
- र. सूचना विज्ञान में विशेषज्ञता हेतु अधिकतम अंक-पन्द्रह।
(सूचना विज्ञान में विशेषज्ञता हेतु अंक साक्षात्कार समिति द्वारा विशेषज्ञता के स्तर यथा डिप्लोमा/पीजी डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री आदि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे)
- र. साक्षात्कार -बीस अंक।

ख. प्रवक्ता - शारीरिक शिक्षा

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता : शारीरिक शिक्षा विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री।

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण - अधिकतम अंक - 75

- अ. शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का बीस प्रतिशत।
- ब. पीपीएड के कुल प्राप्तांकों की प्रतिशत का दस प्रतिशत।
- स. पीएचडी शारीरिक शिक्षा - दस अंक।
- द. शारीरिक शिक्षा में यूजीसी की नैट परीक्षा-दस अंक।
- य. शारीरिक शिक्षा में एमफिल -पांच अंक।
- र. साक्षात्कार-बीस अंक।
(साक्षात्कार समिति द्वारा अंक प्रदान करने हेतु अभ्यर्थी की जिला स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय/प्रदेश स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाएगा।)

3- सहयोगी प्रशासनिक स्टाफ हेतु मानवषष्ठ

निम्नलिखित प्रशासनिक स्टाफ की व्यवस्था आउट सोर्सिंग के आधार पर युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग अथवा उपमन्त्री (उत्तराखण्ड) पुरुष सैनिक कल्याण निगम लि०) अथवा हिल्ड्रान के माध्यम से वास्तविक शासनादेशों/संबंधित आदेशों के आधार पर की जायेगी।

कार्मिक	पद संख्या	योग्यता
कार्यालय एवं लेखा सहायक	01	वाणिज्य में स्नातक एवं एकाउण्टिंग सॉफ्टवेयर टैली का ज्ञान।
कार्यालय सहायक एवं टंकक	01	इण्टरमीडिएट एवं कम्प्यूटर में एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान।
स्टोरकीपर	01	इण्टरमीडिएट एवं कम्प्यूटर में एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान।
तकनीकी सहायक/कम्प्यूटर सहायक	01	इण्टरमीडिएट एवं कम्प्यूटर में एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान।
परिचर/सहायक/सहयोगी स्टाफ	02	कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण।

शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ का पारिश्रमिक :

समस्त शैक्षणिक स्टाफ, पुस्तकालयध्यक्ष/सह पुस्तकालयध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा व्यापक तथा तकनीकी /प्रयोगशाला सहायक के पारिश्रमिक का भुगतान, इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक विभाग अथवा उपनल (उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0) अथवा हिल्ड्रान के माध्यम से नियुक्त प्रशासनिक स्टाफ के पारिश्रमिक का भुगतान तत्संबंधी शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को पारिश्रमिक का भुगतान आदाता के खाते में देय बैंक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गये बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जायेगा।

5-शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति हेतु विज्ञापन :-

शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रस्तर 07 में वर्णित समिति द्वारा अलग-अलग कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा, जिनका व्यापक प्रचलन प्रदेश स्तर पर हो, परन्तु विज्ञापन का प्रारूप निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसमें पद का नाम, संख्या, अर्हता, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु, पारिश्रमिक (संदाय), आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि आदि अन्य आवश्यक तथ्यों का समावेश होना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- आरक्षण :

विभिन्न पदों पर आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा तत्समय प्रवृत्त यथा आदेशों/नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7- चयन समिति का गठन :

शैक्षणिक स्टाफ तथा तकनीकी सहयोगी स्टाफ के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग, योग्यता सूची निर्धारण एवं चयन हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|---|---------------|
| (1) निदेशक, उच्च शिक्षा | संयोजक |
| (2) सम्बन्धित विश्वविद्यालय के बी०एड० विभाग के दो प्रतिनिधि | विषय विशेषज्ञ |
| (3) उच्च शिक्षा विभाग से एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० वर्ग के एक-एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| (4) राज्य सरकार का एक नामिति | सदस्य |

योग्यता सूची का तैयार किया जाना :

चयन समिति द्वारा विभिन्न पदों हेतु योग्यता सूची का निर्धारण उपरोक्त निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

9. नियुक्ति पत्र का निर्गमन :

चयन समिति द्वारा योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को कार्य करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के भीतर योगदान न देने की दशा में योग्यता सूची में क्रमशः अगले अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जायेगा। समस्त नियुक्तियां संविदान्तर्गत एक शैक्षणिक सत्र या अधिकतम सीमा जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होगी। नियुक्ति हेतु आमंत्रण पत्र एवं संविदा पत्र का प्रारूप निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा तैयार किया जायेगा। इन दोनों प्रारूपों में यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि महाविद्यालयों में बी०एड० पाठ्यक्रम स्ववित्त योजना के अन्तर्गत संचालित हैं तदनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की व्यवस्था नितान्त अस्थायी रूप से संविदान्तर्गत की जा रही है तथा राज्य सरकार पर इसका कोई वित्तीय भार निहित नहीं होगा।

10. चयनित अभ्यर्थियों की सूची का एन०सी०टी०ई० को आवश्यक प्रेषण :

चयन समिति एवं संबंधित महाविद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची, एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित प्रारूप पर (शपथ-पत्र के रूप में) एन०सी०टी०ई० जयपुर को प्रेषित करेंगे एवं ऐसे महाविद्यालय जिनमें प्रथमवार पाठ्यक्रम संचालित होना है, पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु उनसे औपचारिक मान्यता आदेश प्राप्त करेंगे।

11. महाविद्यालयों द्वारा बैबसाइट का निर्माण एवं अपडेट करना :

चयन समिति एवं संबंधित महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० के मानकों के अनुसार बी०एड० पाठ्यक्रम की एक बैबसाइट तैयार करेंगे एवं चयनित प्रत्येक शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की योग्यता, अनुभव एवं फोटो सहित अन्य विवरण का उसमें समावेश करेंगे। समय-समय पर शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों में परिवर्तन होने पर बैबसाइट में तदनुसार परिवर्तन किया जाना संबंधित महाविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता :

समस्त महाविद्यालय, जिन्हें एन०सी०टी०ई० से औपचारिक मान्यता आदेश प्राप्त हुआ है, स्ववित्त पोषित आधार पर बी०एड० पाठ्यक्रम संचालनार्थ आवश्यक सम्बद्धता हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

कतानुसार निर्धारित मानकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थी कालान्तर में अपनी सेवाओं के पर राजकीय सेवा/प्रबन्धकीय महाविद्यालय आदि में नियमितीकरण/जन/संविलियन/सेवास्थानान्तरण के हकदार नहीं होंगे, ना ही ऐसा कोई दावा विधिमान्य

स्ववित्त पोषित बी०एड० महाविद्यालय में शैक्षिक सत्र के समापन अथवा इस निमित्त महाविद्यालय के वित्तीय स्रोत समाप्त होने के साथ ही स्वतः संविदाधारक की सेवा समाप्त हो

शैक्षिक सत्र के दौरान संविदा कर्मों की सेवाएं, अनुशासनहीनता, कदाचार अथवा पठन-पाठन कदासीनता, उच्चादेशों की अवहेलना, परीक्षा में नकल कराने या अन्य किसी प्रकार के समाज की अनैतिक कार्यवाही में संलिप्त पाये जाने, असामाजिक व्यवहार का कृत्य पता चलने पर समाप्त कर दी जायेगी एवं ऐसे संविदाधारक के विरुद्ध विधिवत् समस्त कार्यवाही प्रारम्भ जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझे जायेंगे।

स्वदीया
Adde.
(राजकीय शा)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या : (1) / XXIV(7) / 51(3) / 2010 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री (मा० मुख्यमंत्री जी) उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री आर०के० सिंह, विशेषकार्याधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. डॉ० एम०एम० करगेती, विशेषकार्याधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. कुलसचिव, गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर, गढ़वाल।
8. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
9. स्ववित्तपोषित बी०एड० पाठ्यक्रमों से संबंधित समस्त प्राचार्य स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
10. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
11. उच्च शिक्षा अनुभाग 6 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(पी०एल०शाह)
उप सचिव

दिनांक 15 अप्रैल, 2010

पृष्ठांकन संख्या डिग्री प्लान / 2010-11

प्रतिलिपि : प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डॉ० (बी०एस० बिष्ट)
संयुक्त निदेशक

कृते निदेशक (उच्च शिक्षा)

(उत्तराखण्ड, इन्डुमी (नैनीताल))